



मध्यप्रदेश वक्फ़ बोर्ड,

(केन्द्रीय वक्फ़ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)

ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल, फोन : 0755-2543175

E-mail: mpwqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in - Website : www.mpwqfboard.org

क्र. F-37/MoMA/UMEED Act/2025/3332 to 50 भोपाल, दिनांक 25/11/25

परिपत्र

मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2025 के परिपालन में वक्फ़ संशोधन अधिनियम, 2025 के प्रावधानानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत।

वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2025 का परिपालन सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित डी.ओ. पत्र क्रमांक 12/3/2023-वक्फ़ दिनांक 24.10.2025 के तारतम्य में राज्य शासन द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 279 दिनांक 17.11.2025 के संदर्भ में सर्वसंबंधितों को यह आदेशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.09.2025 का पूर्णरूपेण पालन सुनिश्चित करें। तवरित संदर्भ हेतु भारत सरकार के डी.ओ. पत्र क्रमांक 12/3/2023-वक्फ़ दिनांक 24.10.2025 एवं मान. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2025 की प्रतियां मध्यप्रदेश राज्य वक्फ़ बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट www.mpwqfboard.org पर अपलोड कर दी गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ़ बोर्ड, भोपाल

पृष्ठा. क्र. F-37/MoMA/UMEED Act/2025/

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:

1. निज सचिव, मान. मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, पिछडर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, मान. अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश राज्य वक्फ़ बोर्ड को सूचनार्थ।
3. समस्त मान. सदस्यगण म.प्र. राज्य वक्फ़ बोर्ड को सूचनार्थ।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वीं फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंतोदिया भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 की ओर उनके पत्र दिनांक 24.10.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, केन्द्रीय वक्फ़ परिषद, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सेन्ट्रल वक्फ़ भवन, पी-13 एण्ड 14, पुष्प विहार, सेक्टर-6, साकेत, अपोजिट फैमली कोर्ट, नई दिल्ली - 110 017 की ओर सूचनार्थ।
6. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछडर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विभाग के पत्र क्र. 279 दिनांक 17.11.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. अध्यक्ष माननीय वक्फ़ अधिकरण की ओर सूचनार्थ।
9. सदस्यगण माननीय वक्फ़ अधिकरण की ओर सूचनार्थ।
10. समस्त जिला कलेक्टर, जिला मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
11. म.प्र. राज्य वक्फ़ बोर्ड द्वारा नियुक्त समस्त कार्यपालन अधिकारी को सूचनार्थ।
12. म.प्र. राज्य वक्फ़ बोर्ड के समस्त विधि सलाहकार को सूचनार्थ।
13. समस्त शाखा प्रभारी कार्यालय म.प्र. राज्य वक्फ़ बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
14. समस्त जिला/तहसील वक्फ़ कमेटी मध्यप्रदेश।
15. समस्त वक्फ़ प्रबंध कमेटी/मुतवल्ली, मध्यप्रदेश।
16. सचिव, सोल ट्रस्टी शिया दाऊदी बोहरा समाज बंदी महल फोर्ट मुम्बई।
17. प्राधिकृत अधिकारी, कमेटी इंतैजामिया औकाफ-ए-आम्मा, भोपाल।
18. मुतवल्लीया, औकाफ-ए-शाही, भोपाल।
19. आई.टी.सेल मध्यप्रदेश वक्फ़ बोर्ड भोपाल, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ़ बोर्ड, भोपाल